



NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

'एक्सचेंज प्लाज़ा', वांद्रे- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पू), मुंबई - 400 051

सार्वजनिक सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ((इक्विटी शेयरों की डीलिंग) रेगुलेशन, 2009 के रेगुलेशन 22(1) के साथ पठित सिक्क्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) नियमों, 1957 के नियम 21 (बी) के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य डीलिंग के लिए सार्वजनिक सूचना।

अब सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीलिंग (लेन-देन में प्रवेश से वापस लेने) का निर्णय लिया गया है

यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ((इक्विटी शेयरों की डीलिंग) रेगुलेशन, 2009 के रेगुलेशन 22(1) के साथ पठित सिक्क्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) नियमों, 1957 के नियम 21 (बी) एवम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के उपनियमों और रेगुलेशंस के सन्दर्भ में दिसंबर 16, 2022 से प्रभावी है।

गैर-अनुपालन /नॉन-कंप्लायंस के कारण अनिवार्य तौर पर डीलिंग कंपनी

कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (₹)	कंपनी के प्रमोटर्स के नाम	कंपनी के प्रमोटर्स का पता**
ऑस्ट्रल कोक एंड प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड 8वीं मंजिल, कमरा नंबर 866, टोडी हवेली, 32 एज़ा स्ट्रीट, कोलकाता-700001	शून्य	ऋषि राज अग्रवाल	पता उपलब्ध नहीं है।
		संगीता अग्रवाल	
		ललिता अग्रवाल	
		एनारकॉन रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	
		श्री हनुमान इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	1, शिव ठाकुर गली, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700007

**एमसीए/एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।

*एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।

टिप्पणियाँ:

अनिवार्य डीलिंग के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपरोक्त कंपनियां 16 दिसंबर, 2022 से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगी। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के डिसेमिनेशन बोर्ड में ले जाया जाएगा।
- डीलिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 34(1) के अनुसार, डीलिंग की गई कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशकों, प्रमोटर्स और समूह की कंपनियों को अनिवार्य डीलिंग की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए सिक्क्योरिटीज मार्केट /प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने और उचित मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी प्रदान करने का दायित्व कंपनी के प्रमोटर्स पर है। यदि प्रवर्तकों द्वारा निकास प्रदान नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी प्रश्न को डीलिंग कमेटी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को संबोधित किया जा सकता है। दूरभाष: +91 22 26598100, ई-मेल: dl-insp-enf-delisting@nse.co.in

स्थान: मुंबई

दिनांक: दिसंबर 15, 2022

